



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052025-263282
CG-DL-E-22052025-263282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2194]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2194]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2248 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तहसील नांगल और आनंदपुर साहिब मेनंगल-आनंदपुर साहिब-कीरतपुर खंड के कि.मी 44.7 किमी से 81.31 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 503 (विस्तार) तक के दो / चार लेन पेव्ड शोल्डर के साथ उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

पंजाब राज्य के नांगल -आनंदपुर साहिब-कीरतपुर खंड के कि.मी 44.7 किमी से 81.31 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 503 (विस्तार) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप प्रभागीय	राष्ट्रीय राजमार्ग	पंजाब	रूपनगर	नांगल	1 कलसेरा (236)

					10	गंगुवाल (303)
					11	रायपुर सहनी (343)
					12	कोटला (370)
					13	मींडवान (342)
					14	झिंझरी (365)
					15	थप्पल (324)
					16	मटौर (364)
					17	लोदीपुर (362)
					18	किरतपुर (373)
					19	गंभीरपुर (294)
					20	ढेर (296)
					21	सुरेवाल (295)
					22	डबरी (295)
					23	बल्लोवाल (366)
					24	महरौली (308)
					25	गनारू (360)
					26	आनंदपुर साहिब (321)
					27	बुर्ज (363)
					28	मेहंदली कलां (367)
					29	बडल (365)
					30	भागवाला (371)
					31	भटोली (372)
					32	जिओवाल (345)
					33	माजरा (311)
					34	अगमपुर (360)

[फा. सं. E-827928-BR3/1/2025-4BR3/1030232]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2248(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2/4 laning with paved shoulders of Nangal-Anandpur Sahib-Kiratpur (km. 44.7 to km 81.31) section on National Highway 503(Extn.) in Teshil SDM Nangal and SDM Sri Anandpur Sahib in the State of PUNJAB.

SCHEDULE

Land acquisition from Nangal-Anandpur Sahib-Kiratpur section on National Highway 503(Extn.) in the State of PUNJAB.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDM	NH503(Extn.) KM 44.7 TO KM 61.7	PUNJAB	Roopnagar	Nangal	1 Kalsera (236) 2 Bhabour (234) 3 Meghpur (284) 4 Manakpur (285) 5 Patti (287) 6 Raipur 7 Bandlehari (289) 8 Ajauli (349) 9 Jandla (341) 10 Bhalowal (290) 11 Nangli (354) 12 Jindwari (355) 13 Mehatpur 14 Rampur Sahni (235) 15 Barari (242) 16 Habbewal (281) 17 Niku Nangal (282) 18 Dhukli 283 19 Barhampur (348) 20 Daroli (352)

						33	Majra (311)
						34	Agampur(360)

[F. No.E-827928-BR3/1/2025-4BR3/1030232]

SHAIKH AMINKHAN, Director